न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/ 2018
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021/00008

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा जिला बॉसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री महिपाल पिता गोकुलजी पाटीदार जाति पाटीदार निवासी बागीदौरा जिला बॉसवाडा
2. श्री केशव पिता श्री देवेग जाति पाटीदार निवासी बागीदौरा जिला बॉसवाडा
3. श्री गणेश पिता श्री माधवजी जाति पाटीदार निवासी बागीदौरा जिला बॉसवाडा
4. सरपंच ग्राम पंचायत बागीदौरा पंचायत समिति बागीदौरा जिला बॉसवाडा
5. सुशीला पत्नि श्री हरीश पाटीदार जाति पाटीदार निवासी बागीदौरा जिला बॉसवाडा
6. श्री हरीश पाटीदार पिता कचरु पाटीदार जाति पाटीदार निवासी बागीदौरा जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री योगेश सोमपुरा एड्वोकेट

श्री महेन्द्र गॉधी, एडवोकेट
श्री हीरालाल जैन एड्वोकेट
श्री वैभव गॉधी, एड्वोकेट

निर्णय

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

दिनांक :– 26.11.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बागीदौरा ने पंचायत की श्री सरकार भूमि के पट्टे नियम 266 राज[illegible] एवं न्याय उप. सा. नियम 1961 के तहत अप्रार्थी सं.1 से 3 तक के [illegible] है अप्रार्थी सं. 4 द्वारा पंचायती राज के नियमो के विपरीत बागीदौरा ग्राम पंचायत [illegible] भूमि जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रक्षित श्री सरकार भूमि का गैरकानूनी रुप से अप्रार्थी सं. 1 से 3 के हक में जो पट्टा जारी किया है जो विधि विरुद्ध होकर गैरकानूनी है। जिसकी प्रथम दृष्टया तहसीलदार बागीदौरा, पंचायत समिति बागीदौरा व जिला परिषद बॉसवाडा द्वारा जॉच की गई। जॉच कमेटी द्वारा उक्त पट्टा गैरकानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:55 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,बांसवाड़ा

विधि विरुद्ध अनियमित पाया गया, जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः निगरानीकर्ता प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत बागीदौरा की संकल्प सं. 10 दिनांक 19.03.2006 के द्वारा जारी पट्टा दिनांक 29.04.2006 ग्राम बागीदौरा, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा को निरस्त करने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री हिरालाल जैन, श्री भूषण जैन का तथा अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्री महेन्द्र गॉधी व श्री वैभव गॉधी का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए किन्तु अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। दिनांक 22.05.2018 को अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार गॉधी द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी में मय अभिभाषक पत्र के प्रस्तुत्त कर श्री हरीश पाटिदार पिता कचरु पाटीदार निवासी बागीदौरा एवं श्रीमती सुशिला पत्नि हरीश पाटीदार को पक्षकार बनाये जाने निवेदन किया जिस पर दिनांक 05.06.2018 को श्री हरीश एवं दिनांक 07.01.2020 को श्रीमती सुशिला को पक्षकार के रुप में जोडे जाने अनुमती दी गई।

दिनांक 02.03.2021 को निगरानी म्याद बाहर होने के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर होने के क्रम में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का संक्षिप्त अवलोकन किया। निगरानी म्याद बाहर होना न्यायोचित नही होने से अप्रार्थीगणो की ओर से पस्तुत प्रार्थना पत्र षोषणिय नही होने से निरस्त किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 18.05.2021 तक स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया। किन्तु पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी अधिवक्ता की ओर से अप्रार्थीगणो की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 13.09.2021 को अप्रार्थी सं. 1, 4, 5, 6 के जवाब बंद किये गये तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के लगातार अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये।

दिनांक 28.09.2021 को अप्रार्थी सं. 1, 4, 5, 6 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा मनगढत तथ्यो पर तथा बिना ठोस दस्तावेज के निगरानी पेश की है जो काबिल निरस्ती योग्य है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सं. 4 मिसल संख्या 66 तारीख दायर 05.01.2006 पट्टा जारी दिनांक 23.03.2006 को महिपाल पिता गोकुलजी, केशव पिता देवेंग, माधवजी पिता रतनजी पाटीदार निवासी बागीदौरा के नाम से 7920 वर्गफीट का पट्टा ग्राम् पंचायत द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है जिसकी प्रति संलग्न की है। अप्रार्थी सं. 5 सुशीला पाटीदार द्वारा आवासीय भूखण्ड कुल क्षैत्रफल 2365 वर्गफीट का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 28.06.2013 को केशव पिता देवेंग पाटीदार ... दौरा से क्रय किया जाकर अप्रार्थी सुशीला का कब्जा होकर मालिक है ... गर्वमेंन्ट ग्रान्ट एक्ट 1895 के तहत जारी किया हुआ तथा ... अप्रार्थी सं. 6 हरीश द्वारा आवासीय भूखण्ड कुल क्षैत्रफल 2150 वर्गफीट का रजिस्टर्ड विक्रय दिन... 28.06.2013 को माधवजी पिता रतनजी पाटीदार निवासी बागीदौरा से क्रय किया है तथा कब्जा प्राप्त कर मालिकाना हक है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवासीय भूमि का जारी होने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रचित होने के बाद उक्त दस्तावेज की कानूनी मान्यता के सम्बन्ध में विवाद का निस्तारण सक्षम सिवील न्यायालय को है। अप्रार्थी सं. 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:55 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)

सुशीला एवं अप्रार्थी सं. 6 हरीश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रीट प्रस्तुत की है जिसका नंबर क्रमशः 1407/2016 एवं 1408/2016 है जो कि विचाराधीन है। उक्त रीट निगरानी में वर्णित पट्टे की भूमि के सम्बन्ध में होकर विचाराधीन है तथा जिसमें निगरानीकर्ता पक्षकार है तथा उसे उक्त् रीट के तथ्यो की जानकारी है। रीट विचाराधीन के दौरान निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की गयी है। अप्रार्थी सं. 5 एवं 6 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि को क्रय किया है जिससे उक्त भूमि के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार सिवील न्यायालय को है। अतः निगरानी खारीज करने निवेदन किया।

निगरानीकर्ता प्रार्थी की ओर से दिनांक 05.10.2021 को प्रस्तुत बहस में कथन किया गया कि ग्राम पंचायत बागीदौरा ने पंचायत की श्री सरकार भूमि के पट्टे नियम 266 राजस्थान पंचायत एवं न्याय उप. सा. नियम 1961 के तहत अप्रार्थी सं.1 से 3 तक के नाम सयुक्त रुप से जारी किया है, अप्रार्थी सं. 4 द्वारा पंचायती राज के नियमो के विपरीत बागीदौरा ग्राम पंचायत की अज्ञात भूमि जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता श्री सरकार भूमि का गैरकानूनी रुप से अप्रार्थी सं. 1 से 3 के हक में जो पट्टा जारी किया है विधि विरुद्ध होकर गैरकानूनी है। जिसकी प्रथम दृष्टया तहसीलदार बागीदौरा, पंचायत समिति बागीदौरा व जिला परिषद बॉसवाडा द्वारा जॉच की गई। जॉच कमेटी द्वारा उक्त् पट्टा गैरकानूनी विधि विरुद्ध अनियमित पाया गया, जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः निगरानीकर्ता प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत बागीदौरा की संकल्प सं. 10 दिनांक 19.03.2006 के द्वारा जारी पट्टा दिनांक 29.04.2006 ग्राम बागीदौरा, तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा को निरस्त करने निवेदन किया तथा न्यायिक दृष्टांत 2015 (I) DNJ (Raj) 443 राजस्थान उच्च न्यायालय लोनी देवी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा 2008 (2) DNJ (Raj) 797 राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर ब्रान्च) अरुण कुमार शर्मा बनाम अति.जिला कलक्टर II, जयपुर व अन्य प्रस्तुत किये।

विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बागीदौरा को प्रश्नगत पट्टा की मूल पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा ने उनके पत्रांक 1282 दिनांक 02.11.2021 से अवगत कराया कि प्रश्नगत पट्टा की पत्रावली ग्राम पंचायत बागीदौरा के पास उपलब्ध नही है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया एवं उस पर मनन किया। प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा की ओर से निगरानी के साथ प्रस्तुत प्रश्नगत पट्टा की प्रति पट्टा सं. 68, मिसल सं. 4/66, संकल्प सं. 10, दिनांक 19.03.2006, पट्टा जारी दिनांक 29.04.2006 जो कि श्री महिपाल पिता श्री गोकुल, श्री केशव पिता [illegible] जाति पाटीदार निवासी बागीदौरा के नाम से जारी है प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी सं. 4, [illegible] की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के संलग्न पट्टा की प्रति मिसल [illegible] दिनांक 19.03.2006, पट्टा जारी दिनांक 23.03.2006 जो कि श्री महिपाल पिता श्री गोकुल, श्री केशव पिता देवेंग, माधवजी पिता रतनजी जाति पाटीदार निवासी बागीदौरा के नाम से जारी हुआ है। दोनो जारी शुदा पट्टो में एक नाम में भिन्नता है जबकि दानो पट्टो में अंकित नक्शा जमीन, चर्तुसीमा, एवं माप संबंधित विवरण एक है। इस प्रकार एक ही भूमि के दो पट्टे अलग अलग दिनांक को जारी हुए है। विकास

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:55 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)

अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा से प्रश्नगत मूल पत्रावली तलब करने पर उनके पत्रांक 1282 दिनांक 02.11.2021 से अवगत कराया गया कि उक्त पत्रावली ग्राम पंचायत बागीदौरा में उपलब्ध नही है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की मूल पत्रावली न्यायालय को उपलब्ध नही कराया जाना अत्यन्त खेदजनक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि मामले में एक कमेटी गठित कर स्वयं जॉच करे तथा जॉच के दौरान अनियमितता अथवा कुटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करे। अप्रार्थी सं. 5 सुशीला एवं अप्रार्थी सं. 6 हरीश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रीट प्रस्तुत की है जिसका नंबर क्रमशः 1407/2016 एवं 1408/2016 है जो कि उक्त प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में होकर विचाराधीन है, जिसमें निगरानीकर्ता भी पक्षकार है। इस प्रकार प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से उनके अग्रीम आदेश तक इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई निर्णय पारित किया जाना संभव नही है। ग्राम पंचायत बागीदौरा द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा जारी होने के पश्चात् उक्त भूमि मे से अप्रार्थी सं. 5 सुशीला पाटीदार द्वारा आवासीय भूखण्ड कुल क्षैत्रफल 2365 वर्गफीट का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 28.06.2013 को केशव पिता देवेंग पाटीदार निवासी बागीदौरा से क्रय किया, अप्रार्थी सं. 6 हरीश द्वारा आवासीय भूखण्ड कुल क्षैत्रफल 2150 वर्गफीट का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 28.06.2013 को माधवजी पिता रतनजी पाटीदार निवासी बागीदौरा से क्रय किया है, इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पादित हुआ है। जब कोई हस्तांतरण पंजीकृत दस्तावेज से पंजीयन के द्वारा निष्पादित हो जाता है अथवा कुटरचित सिद्ध होता है तो उक्त दस्तावेज निरस्ती क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानी खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बॉसवाडा को भेजी जावे।

निर्णय आज 26.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति. जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:55 IST
Reason: SelfAttested